


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. १९/2024...

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिनिका अनुपस्थित। वादीगण को आज्ञा-आदेश के प्रथम-प्राथमिक समय पर तीन-तीन बार भाषाएं लगावायी गयीं। बावजूद भाषाएं लगावने के उपरांत भी वादीगण के न्यायालय में हजरि नहीं आने के कारण पत्रावली स-कति मारवा - व नियम-3 पा० 40 के तहत अद्यत हजरी व अद्यत पेशकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नंबर से कम होकर दाखिल यन्तर ही।</p> <p style="text-align: right;">               उपखण्ड अधिकारी              जोबनेर, जयपुर           </p>